**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या : 11/2008

**अपीलांट**

1. धनी जोजे ठाकरा फौत के कायम मुकाम–
   1/1 साजनराम पुत्र ठाकरारामजी
   1/2 गोरखाराम पुत्र ठाकरारामजी
   1/3 नैनाराम पुत्र ठाकरारामजी
   1/4 गंगाराम पुत्र ठाकरारामजी तमाम जातियान विश्नोई, निवासी मौखातरा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. सुजाराम पुत्र हरीराम
2. किशनाराम पुत्र जीवाराम
3. लालाराम पुत्र जीवराम
4. वरजू बेवा, जीवाराम, जाति विश्नोई, निवासी करवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।
5. आदू पुत्र सरूपा, जाति विश्नोई, निवासी सांकड, मौखतरा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।
   5/1 आसुराम पुत्र आदूजी
   5/2 भैराराम पुत्र आदूजी, निवासी सांकड, हाल मौखातरा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।
6. जोधाराम पुत्र मोती के कायम मुकाम –
   6/1 पोकरा पुत्र जोधाराम
   6/2 साजन पुत्र जोधाराम
   6/3 वगता पुत्र जोधाराम
   6/4 भाखरा पुत्र जोधाराम तमाम जातियान विश्नोई साकिनान करवाडा, तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
7. धूडाराम पुत्र मोती, जाति विश्नोई, साकिनान करवाडा तहसील रानीवाडा, जिला जालोरं

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चंद महेता विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नैनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 व 5/2
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2007 बउनवान धनी बनाम सुजाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 एवं 6/1 से 6/4 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मौखतरा के खसरा नंबर 243 रकबा 129 बीघा 9 बिस्वा मे से 1/8 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व वाद संख्या 25/1994 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2002 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2006 को अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमांड की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हाजा न्यायालय के निर्देशानुसार नई तनकीयात कायम ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता हरीराम का 1/8 हिस्सा निहित था। जिसे अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के पिता हरिराम से खरीद किया है। तथा हरीराम द्वारा उक्त हिस्से की भूमि पर अपीलांट को कब्जा सौंपा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्चा खतौनी व बेचान दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलांट खातेदार है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने सेटलमेंट विभाग से मिलावट कर सेटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 आदू का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। तथा सेटलमेंट विभाग को नियमन, आवंटन या खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है। जिससे राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 आदू के संबध मे हुए इन्द्राज एब–इनिसियो वोईड है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने हरीराम का वादग्रस्त आराजी का खातेदार होना स्वीकार किया है। किन्तु एडवर्स पजेशन साबित करने के लिये हरीराम को बेदखल करने की तारीख वर्णित नहीं की है तथा किस वर्ष में जरिये एडवर्स पजेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को वादग्रस्त आराजी के संबध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकार उत्पन्न हुए, स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपीलांट के हक में हुए बेचान को निरस्त करवाने के संबध में कोई कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने के संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मौखतरा के खसरा नंबर 243 रकबा 129 बीघा 9 बिस्वा मे से 1/8 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी में गलती से 1/8 हिस्सा हरीराम के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसे सहायक भू प्रबंध अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 19.06.84 को पर्चा लगान दुरूस्त करने का निर्णय लिया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 आदू का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती की गई। अपीलांट के पक्ष में हरीराम द्वारा किया गया बेचान बिना कब्जे के आधार पर किया है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मौखतरा के खसरा नंबर 243 रकबा 129 बीघा 9 बिस्वा मे से 1/8 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2002 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त राजस्व वाद संख्या 25/1994 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2002 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2006 को अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमांड की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में हरीराम के नाम दर्ज थी, जिस सेटलमेंट विभाग द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 05 आदू

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के नाम दर्ज की गई। जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त अपीलांट के हक में हुए बेचाननामे को निरस्त कराने बाबत कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए तनकीयात का पूर्णतया विवेचन किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2007 बउनवान धनी बनाम सुजाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली